# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–558 / 12–13

शंभू मिस्त्री पिता–स्व0 किसन मिस्त्री पिता–रसिकपुर दुमका एवं अन्य

वनाम

नारायण मिस्त्री पिता–स्व0 जगरनाथ मिस्त्री, रसिकपुर दुमका एवं अन्य

| आदेश की कम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–558 / 12–13 शंभू मिस्त्री उर्फ मड़ैया एव अन्य सभी निवासी रसिकपुर, थाना–दुमका सदर के द्वारा नारायण मिस्त्री उर्फ मड़ैया के विरूद्ध अंचल अधिकारी दुमका के नामान्तरण वाद सं0–663 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक–17.03.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि नं0–2 थाना–दुमका सदर जिला–दुमका के दाग सं0–501 जमाबंदी सं0–17 रकवा–03 कट्ठा 12 धुर भूमि गेंजर सर्वे में साहेब मिस्त्री के नाम दर्ज है। उक्त जमाबंदी खतियानी रैयत की इजमाल सम्पत्ति है। जो आवेदन में दर्ज वंशावली में दर्शाया गया है। आवेदक का कहना है कि विपक्षी के द्वारा अंचलाधिकारी दुमका द्वारा कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी के नाम नामान्तरण करते हुए उसका लगान धारित किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने आवेदन में वर्णित किया गया है कि जमावंदी का बंटवारा खतियानी रैयत साहेब मड़ैया द्वारा अपने दोनों पुत्र के बीच किया गया था। विपक्षी का यह भी कहना है कि उक्त भूमि पर मकान बनाकर वे बसोवास कर रहे है।

अभिलेख में संलग्न दस्तावेज एवं दोनों पक्षों द्वारा समर्पित तथ्य विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला दोनों पक्ष के अंश बंटवारे का है।

अतः उपरोक्त स्थिति में दोनों पक्ष अपने अंश का बंटवारा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते हैं।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लिखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by ABDUS SAMAD
Date: 2024.07.27 19.10.18 +05:30
Location: 192.168.29.122

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।